वक्तव्य
SPEECH

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
CHIEF MINISTER, MADHYA PRADESH

राष्ट्रीय विकास परिषद् की 55वीं बैठक
55th Meeting of the
National Development Council

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2010
New Delhi, 24th July, 2010

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्‌बोधन

दिनांक 24 जुलाई, 2010

1. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, समस्त केन्द्रीय मंत्रीगण, साथी मुख्यमंत्रीगण तथा अन्य विशिष्टगण। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे नक्सलवाद की समस्या, कृषि विकास की रणनीति, जनजातीय मामले से संबंधित बिन्दुओं, शहरीकरण एवं विद्युत सेवा से संबंधी विषयों पर विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

2. मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मध्यप्रदेश ने स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2008-09 में 8.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जो कि न केवल वर्ष 2007-08 की वृद्धि दर 6.64 प्रतिशत से काफी अधिक है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्थिर मूल्य पर औसत वार्षिक विकास दर 6.86 प्रतिशत दर्ज की गई थी। स्पष्ट है कि राज्य की वर्तमान अर्थव्यवस्था दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

3. वर्ष 2008-09 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेक्टरवार वृद्धि संतोषजनक रही है। प्रायमरी (Primary) सेक्टर, सेकेण्डरी (Secondary) सेक्टर तथा टर्सरी (Tertiary) सेक्टर में स्थिर मूल्य पर उक्त विकास दर क्रमशः 8.38, 4.73 एवं 10.84 प्रतिशत दर्ज की गई है।

4. वर्ष 2008-09 के दौरान सेकेण्डरी (Secondary) सेक्टर के विकास में मंदी वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण मानी जा सकती है। वर्तमान में राज्य की विकास दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य 7.9 प्रतिशत के आसपास है। मुझे विश्वास है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। राज्य शासन 10 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये संकल्पित है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

5. वर्ष 1999-2000 में स्थिर मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय रुपये 12384 थी जो कि वर्ष 2008-09 में रुपये 14918 पहुँची। इसी दौरान राष्ट्रीय औसत रुपये 15839 से बढ़कर 25661 हो गई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय औसत का लगभग एक चौथाई है। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि समावेशीय विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रदेश

को और अधिक सहायता देने की आवश्यकता है।

6. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि महत्वपूर्ण है किन्तु विकास के लिए पर्याप्त नहीं। हमारा ध्येय एक ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास है जिसमें प्रत्येक देशवासी का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हमने अधोसंरचना का विकास, खेती को लाभ का धन्धा बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश, कानून एवं व्यवस्था और सुशासन की सात प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं। हमने योजना बनाने की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन किया है। हमने विभिन्न हितधारियों (Stakeholders) की पंचायतें आयोजित कीं, विशेष समूहों के साथ मंथन आयोजित किया, विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया और इस प्रक्रिया से उपजे सरोकारों को योजनाओं के रूप में अमलीजामा पहनाया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, सिक न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स, न्यूट्रीशियन रिहैबिलिटेशन सेन्टर ऐसी ही कुछ योजनाएँ हैं। मुझे विश्वास है कि अगले सर्वेक्षणों में हमारे सोशल इंडीकेटर्स में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होगा।

7. मध्यप्रदेश के पिछड़ेपन के ऐतिहासिक कारण हैं। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वर्तमान में निर्धारित प्रक्रियाओं के चलते न केवल स्वीकृतियों में अत्यधिक विलम्ब होता है, बल्कि हमारी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। मेरा मानना है कि पर्यावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें विकास की ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जो संवहनीय हो, किन्तु हमें प्रक्रियात्मक जटिलताओं को समाप्त करना होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मानकीकरण, पर्यावरण स्वीकृति की समय सीमा निश्चित करना, विशेष सेल का गठन आदि व्यावहारिक सुझाव हैं जिनका विस्तृत विवरण वक्तव्य में आगे शामिल है।

8. पिछले कुछ समय से केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार परामर्श नहीं किया जाना, बुन्देलखंड पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सभी प्रस्तावों को NRAA के माध्यम से केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना, CAMPA की राशि जो मूल रूप से हमारे द्वारा जमा की गई राशि है उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।

9. वामपंथी उग्रवादियों की बढ़ती हिंसा हम सभी के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। हाल ही

में हमने छत्तीसगढ़ पुलिस तथा अन्य अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों को बहुत भारी मन से श्रृद्धांजलि अर्पित की।ये उग्रवादी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ''रेड कोरीडोर'' बना रहे हैं। इसके कारण वामपंथी उग्रवाद में केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा, बल्कि हमारे देश की विकास प्रक्रिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।

10. मध्यप्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। परन्तु माओवादियों को अपने प्रभाव का विस्तार करने से रोकने में हम अभी तक सफल रहे हैं। यह हमारे सुशासन, विकास गतिविधियों, भागीदार स्वशासन तथा प्रभावी पुलिस व्यवस्था के कारण संभव हो सका है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां नहीं हैं। अतः हमें लगातार सतर्क एवं सचेत रहना है। मैं मध्यप्रदेश के मण्डला और डिण्डोरी जिलों को गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी खर्च (सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) योजना में पुनः शामिल करने तथा सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया जिलों को इसमें शामिल किये जाने का गृहमंत्री से अनुरोध करता रहा हूँ। वामपंथी उग्रवादियों की बढ़ती गतिविधियों तथा उनके प्रभाव को रोकने की दृष्टि से यह अनिवार्यता बन चुका है, परन्तु अभी तक इस अनुरोध पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की स्थिति को पर्याप्त रूप से समझा नहीं जा रहा। अगर हम अभी कार्यवाही नहीं करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो केन्द्र के इस व्यवहार पर भी आश्चर्य है कि इस समस्या पर आयोजित बैठक में हमारे राज्य को बुलाया तक नहीं गया। अतः मण्डला और डिण्डोरी को SRE योजना में पुनः शामिल कर तथा सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया को भी इसके अंतर्गत तत्काल लाया जाये।

11. प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। हम कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कृषि अल्प कालिक ऋण की ब्याज दर को वर्ष 2010 में तीन प्रतिशत किया है जो देश में सबसे कम है। राज्य में गेहूँ के समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विन्टल तथा धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विन्टल की वृद्धि बोनस के रूप में की गई है। भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 30 प्रतिशत तक टॉपअप अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

12. उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विभिन्न बंदरगाह जैसे कांडला, विशाखापट्टनम आदि पर पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. की

उपलब्धता होने के बाद भी खरीफ एवं रबी के मौसम में प्रदेश में डी.ए.पी. की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह कमी मुख्यतः रेलवे रैक्स की समय पर उपलब्धता न होने के कारण होती है। केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त अग्रिम भंडारण की व्यवस्था कर एवं समय पर रैक्स उपलब्ध करा कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

13. प्रदेश में जबलपुर एवं ग्वालियर में दो कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। इन विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं। हमारे प्रदेश को देश में सर्वाधिक ब्रीडर सीड उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश के कृषि विद्यालयों द्वारा उन्नत कृषि की कई तकनीकें विकसित की गई हैं जिससे प्रदेश में कृषि का विस्तार संभव हुआ। वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों को रु. 100 करोड़ वन टाईम ग्रान्ट देने की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही भी कर सकें।

14. प्रदेश में कोदो, कुटकी, संमा, रागी आदि कई फसलें पर्याप्त क्षेत्रफल में उगाई जाती हैं। यदि सुव्यवस्थित तरीके से इन फसलों का विपणन किया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन फसलों को आकर्षक मूल्य मिल सकता है। भारत सरकार से अपेक्षा है कि इन फसलों की खेती, प्रसंस्करण, समर्थन मूल्य एवं विपणन के लिये उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

15. राज्य का कृषि परिदृश्य मानसून पर निर्भर है। लगभग हर दूसरे साल राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विकास में कमी के मुख्य कारण वर्षा आधारित कृषि, उच्च मृदाक्षरण, कम मूल्य की फसलों का उच्च अनुपात तथा निम्न उत्पादकता है।

16. हमने सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य ने वर्ष 2009 तक 31.39 लाख हैक्टेयर सतही सिंचाई क्षमता विकसित की है, जो कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 19 प्रतिशत तथा कुल संभावित सतही जल सिंचाई क्षमता का 51 प्रतिशत है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में और विकास करने की आवश्यकता है।

17. प्रदेश में अब तक कुल 10 वृहद, 105 मध्यम तथा लगभग 3883 लघु जल योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही अन्य 10 वृहद, 26 मध्यम, 1664 लघु योजनायें एवं 6 नवीनीकरण योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। हमने निर्णय लिया है कि अब लघु सिंचाई योजनाओं को एक वर्ष के अंदर ही पूर्ण किया जाएगा। अन्य प्रमुख योजनायें जैसे खेतों में कुआं, खेत तालाब द्वारा सिंचाई संवर्धन कर किसानों की आय के अवसर बढ़ाये गये हैं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि आगामी पंचवर्षीय योजना को ''वाटर प्लान ऑफ इण्डिया''

घोषित किया जाए क्योंकि इस महत्वपूर्ण सेक्टर में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

18. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज की स्वीकृति हेतु मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। निसंदेह यह पैकेज किसानों की कृषि आय में सुधार के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति के अधिकारों का राज्य स्तर पर विकेन्द्रीकरण एवं फण्ड फ्लो की प्रक्रियाओं का सरलीकरण अत्यंत आवश्यक है। राज्य के अन्य पिछड़े अंचल विन्ध्य एवं महाकौशल के लिए भी विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिये 17295 करोड़ तथा 19303 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योजना तैयार की गई है। इस योजना का बड़ा हिस्सा सिंचाई तथा खाद्यान्न संग्रह की सुविधाओं में खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि राज्य इन क्षेत्रों के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहा है परन्तु केन्द्र से भी इन क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष सहायता दिया जाना आवश्यक है। बुन्देलखण्ड पैकेज की तर्ज पर मैं इन क्षेत्रों के लिये भी विशेष पैकेज देने की पुरजोर मांग राष्ट्रीय विकास परिषद में करता हूँ।

19. सन् 1996 मे पेसा अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद मध्यप्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से है, जिसने 1997 में ही लघु वन उपज नियमों में आवश्यक सुधार किये। ग्राम सभा को विपणन संबंधी सहयोग के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था की गई है, साथ ही लघु वन उपज से प्राप्त राजस्व के वितरण के विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। ग्रामीण स्तर पर 'वन उपज सहकारी समिति', जिला स्तर पर 'जिला संघ' तथा राज्य स्तर पर ''मध्यप्रदेश लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित'' बनाया गया है। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो लघु वन उपज से होने वाली आय का हस्तांतरण सीधे प्राथमिक वन उपज समितियों को करता है। यह समितियां आय का 60 प्रतिशत लघु वन उपज के प्राथमिक संग्राहकों के लिये, 20 प्रतिशत लघु वन उपज एवं वनों के विकास के लिये एवं शेष 20 प्रतिशत राशि गांवों में बुनियादी सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास हेतु प्रदाय करती हैं।

20. उपरोक्त व्यवस्था पेसा अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कारगार सिद्ध हुई हैं। वर्तमान व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी है क्योंकि इसमें लघु वन उपज के विपणन की प्रक्रिया में निविदायें/ खुली नीलामी प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो कि व्यापारियों और निर्माताओं के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

21. राज्य में प्रतिवर्ष लघु वन उपज की संग्रह दर तय की जाती है। राज्य मंत्रिमण्डल पारिश्रमिक दर तेन्दुपत्ते के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित करता है ताकि आदिवासियों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। लाभांश को शीघ्रातिशीघ्र आदिवासियों को देने की दृष्टि से तेन्दुपत्ते की Advance सेल प्रणाली लागू की गई है जिससे पूर्व में ही राशि आदिवासियों को वितरण हेतु उपलब्ध हो सके।

22. मध्यप्रदेश वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में प्रथम है। प्रदेश में वनों का क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत है। वन संम्पदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे राज्य, जहां वनक्षेत्र राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, उन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। औसत से अधिक वन क्षेत्र की नेट प्रजेन्ट वैल्यू पर मात्र 5 प्रतिशत रिटर्न से मध्यप्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग रुपये 8500 करोड़ अतिरिक्त रूप में प्राप्त होना चाहिए।

23. वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रेषित की गई विकास योजनाओं की स्वीकृति में अत्यधिक विलंब होता है। अतः प्रस्तावित है कि परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु समय सीमा निर्धारित की जाए एवं यदि समय सीमा में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो परियोजनाओं को स्वीकृत माना जाए। यह भी प्रस्तावित हैं कि ऐसे प्रकरणों की सतत् मॉनिटरिंग हेतु संबंधित मंत्रालयों में सेल गठित किया जाए जो राज्यों एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति में गति लाये। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मानकीकरण करना चाहिए जिससे प्रक्रिया में लगने वाले समय में बचत होगी।

24. विभिन्न विकास योजनाओं में व्यवर्तित होने वाली वन भूमि के बदले प्राप्त होने वाली राशि के प्रकरणों में आवेदक संस्थाओं से प्राप्त राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) में केन्द्र शासन के खाते में जमा की जाती है। यह राशि राज्यों में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के लिए जमा होती है। राज्य शासन द्वारा अभी तक इस मद में केन्द्र शासन के खाते में 700.56 करोड़ रुपये जमा किए गये हैं, इसके विरुद्ध अगस्त 2009 में केवल 53.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 172.36 करोड़ के प्रस्ताव मार्च 2010 में केन्द्र को प्रेषित किए जा चुके हैं, किन्तु अभी तक इसके विरुद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह प्रस्तावित है कि CAMPA की राशि राज्य शासन के पास ही जमा होनी चाहिए ताकि मा. सर्वोच्च

न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप में राशि का उपयोग किया जा सके। इसके लिए केन्द्र शासन मा. सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करे।

25. मध्यप्रदेश में वर्तमान में 360 नगरीय निकाय हैं तथा लगभग 26.67 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। उल्लेखनीय है कि पिछले दशक में मध्यप्रदेश में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर 31.01 प्रतिशत रही है तथा आगे भी नगरीय क्षेत्रों में इसी प्रकार की वृद्धि दर बनी रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्रों में उपयुक्त अधोसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि नगरीय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत भाग मात्र 14 नगर निगम क्षेत्रों में निवास करता है। अतः इन नगरों की अधोसंरचना के विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना आवश्यक है।

26. भारत सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम में सर्वप्रथम दस लाख से अधिक आबादी के शहर अधोसंरचना विकास हेतु लिये गए हैं। परन्तु इन शहरों (जैसे भोपाल तथा इंदौर) के आसपास के छोटे शहर ''सेटेलाइट टाउन'' के रूप में विकसित हो रहे हैं तथा जिनकी दूरी रेल अथवा सड़क मार्ग से मात्र एक घंटे या इससे भी कम है, इन शहरों में भी अधोसंरचना विकास की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि मात्र ''सिटी बेस्ड प्लानिंग'' की अपेक्षा ''मेट्रोपोलिटन एरिया बेस्ड प्लानिंग'' एवं तदनुसार फण्डिंग की जानी चाहिये। इससे हम बड़े शहरों में बसाहट की सघनता को कम कर पायेंगे तथा बड़े शहरों की अधोसंरचना पर लगातार बढ़ रहे दबाव में भी कमी आयेगी।

27. मेट्रोपालिटन एरिया बेस्ड प्लानिंग के अतिरिक्त प्रदेश में कुछ नगर ऐसे हैं जहां पर निवेश की संभावना के कारण निरंतर शहरी जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जैसे कि सिंगरौली नगर आज न केवल मध्यप्रदेश अपितु देश में एक पॉवर हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जहां अधोसंरचना विकास की महती आवश्यकता है। अतः ऐसे ग्रोथ सेंटर्स के लिये विषेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराना भारत सरकार की नीति का एक अभिन्न अंग बनाना उपयोगी होगा।

28. शहरों के सुनियोजित विकास की अवधारणा को ध्यान रखते हुए हमने संकल्प लिया है कि आगामी तीन वर्षों में समस्त नगरीय निकायों के सिटी डेव्हलपमेंट प्लान (CDP) तैयार किए जायेंगे। इसके साथ ही हमने सिटी सेनिटेशन प्लान बनाने का काम भी हाथ में लिया है। भविष्य में हमें चिंता इस बात की करनी होगी कि उपरोक्त प्लान तैयार होने के पश्चात्

शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु राशि की जो मांग सामने आयेगी उसके लिये वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय सहायता अत्यंत अपर्याप्त साबित होगी। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप से कुछ संसाधन जुटाए जा सकते हैं, किंतु मूलभूत अधोसंरचना के लिए शासन को ही निवेश करना पड़ेगा जिसमें भारत सरकार की महती भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार को वर्तमान पंचवर्षीय योजना में नगरीय क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना होगा तथा अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय संसाधनों को कम से कम तीन गुना करने पर विचार करना होगा।

29. यहां मैं आंकड़ों के माध्यम से भी अपना पक्ष रखना चाहूँगा, जिसमें मध्यप्रदेश के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्य के लिये रुपये 1594.61 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गयी है जिसके विरुद्ध रुपये 1506.71 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। परन्तु अभी भी प्रदेश के इन चार महानगरों में ही 2700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता प्रस्तावित योजनाओं के विरुद्ध आंकलित की गई है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न होने के कारण इन योजनाओं का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है।

30. नगरीय निकायों में लागू सुधार कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हमें नगरीय निकायों को न केवल योजनाएं बनाने अपितु प्राप्त होने वाले अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का भलीभांति उपयोग करने के लिए भी सक्षम बनाना आवश्यक है। इसके लिए शहरी निकायों में उपलब्ध मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि (केपेसिटी बिल्डिंग) का सुनियोजित कार्यक्रम तैयार कर लागू करना होगा। यह भी आवश्यक है कि नीतिगत विषयों पर निरंतर तकनीकी सहयोग देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवायें राज्यों तथा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जाएँ। ये विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लोग हों जो कि लोकल पब्लिक फायनेंस, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन लैण्ड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट, प्रायवेट-पब्लिक- पार्टनशिप इत्यादि विषयों पर राज्यों को सलाह देने का काम करें।

31. शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु वर्तमान में लागू आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्रति इकाई अधिकतम लागत रुपये 1.00 लाख रखी गई है। यह लागत योजना के लागू होने के समय (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2005-06 में) आंकी गई थी। आवास निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण अब आवास निर्माण की प्रति इकाई

लागत लगभग रुपये 2.00 से 2.50 लाख आ रही है। ऐसी स्थिति में आज 1.50 लाख रुपये की लागत का अतिरिक्त भार हितग्राहियों पर आ रहा है, जिसे वहन करने में हितग्राही समर्थ नहीं है । मैने माननीय वित्त मंत्रीजी से मुम्बई में बैठक के दौरान अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार प्रति इकाई लागत को बढ़ाने पर विचार करे जिससे कि गरीब हितग्राहियों पर वित्तीय भार न्यूनतम आए। मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाए तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत इकाई लागत को बढ़ाकर रुपये 2.50 लाख किया जाए अथवा बी.एस.यू.पी. की तर्ज पर इकाई लागत की सीलिंग को समाप्त किया जाए।

32. मैं परिषद् का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विभिन्न शहरी विकास योजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण राज्य पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। मोटे अनुमान के अनुसार राज्य सरकार एवं समस्त स्थानीय नगरीय निकायों को लगभग 2748 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय विभिन्न योजनाओं के तहत अपने अंश की राशि की व्यवस्था करने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि परियोजना लागत में वृद्धि को राज्य एवं केन्द्र द्वारा उसी अनुपात में वहन करना चाहिये जिस अनुपात में राशि की व्यवस्था मूल योजना में की गई है।

33. यहां मैं परिषद् का ध्यान इस बात पर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं जिन्हें रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मेरी परिषद से अपील है कि MGNREGA, NRHM, TSC जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाये। इससे शहरों एवं कस्बों की अधोसंरचना विकास होगा तथा शहरी गरीबों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

34. हम जानते हैं कि विद्युत की उपलब्धता प्रदेश के समग्र विकास के लिये अति महत्वपूर्ण है। राज्यशासन द्वारा विगत छः वर्षों में राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं से 3161 मेगावॉट क्षमतावृद्धि की गयी है। परिणामस्वरूप राज्य की स्वयं की उत्पादन क्षमता दुगनी होकर 6152 मेगावॉट हो गयी है। इसमें मार्च, 2013 तक 1700 मेगावॉट क्षमतावृद्धि की जाएगी, जिससे राज्य की कंपनी एवं संयुक्त क्षेत्र की क्षमता बढ़कर 7852 मेगावॉट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी विद्युत उत्पादकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा मार्च, 2013 तक मध्यप्रदेश को इनसे 5243 मेगावॉट विद्युत उपलब्ध होगी।

35. हमारा ध्यान ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने तथा ट्रांसमिशन हानियों में कमी लाने की ओर केन्द्रित है। वर्ष 2002-03 में स्थापित 3890 मेगावॉट की तुलना में ट्रांसमिशन क्षमता बढ़कर 8091 मेगावॉट हो गयी है । यह वृद्धि 108 प्रतिशत है। ट्रांसमिशन हानियां भी इसी अवधि में 7.93 प्रतिशत से घटकर 4.19 प्रतिशत हो गयी हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। एटी एंड सी हानियों का स्तर भी वर्ष 2002-03 के 45.58 प्रतिशत से घटकर 35.80 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2002-03 से प्रतिवर्ष औसत राजस्व वृद्धि 9.97 प्रतिशत रही है।

36. मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओ के लिये फीडर सेफरेशन (Separation) की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिये 24 घंटे तथा कृषि कार्यों के लिये कम से कम 8 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाना है। इस योजना की संपूर्ण लागत लगभग रु. 5000 करोड़ होगी। चूंकि इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता का अंतर दूर करने में सहायता मिलेगी, अतः भारत सरकार को इस योजना पर होने वाले खर्च में भागीदारी करनी चाहिए।

37. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वितरण फ्रेंचाइजी को बढ़ावा दिया जा रहा है । परन्तु वितरण फ्रेंचाइजी योजना की सफलता के लिये पर्याप्त पूंजीगत खर्च आवश्यक है। अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वितरण फ्रेंचाइजी को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की वी.जी.एफ. योजनान्तर्गत सहायता के लिये पात्रता प्रदान की जाना चाहिए।

38. सभी वितरकों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रय के दायित्व का निर्वहन प्रस्तावित किया गया है। इन दायित्वों के कारण विद्युत दरों में वृद्धि संभावित है जो कि उपभोक्ताओं के लिये कष्टप्रद होगा। इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के दायित्वों की पूर्ति के लिये सब्सिडी प्रदान करने हेतु एक कोष की स्थापना की जाए।

39. मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रतीक्षित है, उनकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए।

40. मध्यप्रदेश को मात्र 150 लाख मैट्रिक टन कोयला की वार्षिक अनुबंधित मात्रा आवंटित की गयी है जो कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीएलएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप हमें कोयला आयात करना पड़ता है। हमें दूसरे

राज्य का कोयला प्रदान किया जाता है और हमारे राज्य में उपलब्ध कोयले को दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। यह न केवल संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश के प्रति सरासर अन्याय है। सारणी ताप विद्युत गृह को डब्ल्युसीएल से कोयला दिया जाता है जो ग्रेडर्स स्थापित नहीं होने के कारण ओव्हरसाइज का होता है। मेरा यह मानना है कि कोयला राष्ट्रीय संसाधन है किन्तु कोयला उत्पादक राज्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त एवं उचित गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध करा कर गैर कोयला उत्पादक राज्यों एवं तटीय प्रदेशों को आयात करने को कहा जाये तो अर्थव्यवस्था के लिये बेहतर होगा। प्रधानमंत्रीजी, कोयला मंत्रीजी एवं ऊर्जा मंत्रीजी के समक्ष मैं यह मुद्दा कई बार उठा चुका हूं किन्तु अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।

41. भारत सरकार द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिये निजी कंपनियों को केप्टिव कोल ब्लॉक आवंटित किये गये हैं। वर्तमान नीति अनुसार इन केप्टिव ब्लॉक में उत्पादित कोयले का उपयोग संबंधित कंपनी केवल उनके प्रयोजन के लिये ही कर सकती हैं जबकि इन कंपनियों के पास उनकी आवश्यकता से अधिक कोयला उपलब्ध है। इस प्रकार की नीति से एक तरफ हम कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं वहीं बाजार में औद्योगिक प्रयोग के लिये कोयले की कमी बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि इन इकाइयों को आवंटित मात्रा से अधिक कोयला उत्पादन करने तथा अपने उपयोग से अधिक उपलब्ध कोयले की अन्य इकाइयों को विक्रय करने की छूट दी जानी चाहिए।

42. राज्य में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाला शिक्षा में भी अच्छी प्रगति की है। प्राथमिक स्तर पर शाला त्यागी दर में 24.3 प्रतिशत (वर्ष 2003-04) से 13.94 प्रतिशत (वर्ष 2008-09) की गिरावट एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर इसी अवधि में शाला त्यागी दर में 26.68 प्रतिशत से 13.24 प्रतिशत की गिरावट इसका प्रमाण हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ये प्रभाव राज्य शासन द्वारा लागू की गई प्रभावी योजनाओं जैसे छात्राओं को साईकिल वितरण, नि:शुल्क गणवेश व किताबें वितरण आदि का परिणाम है। मुझे आशा है कि उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में साक्षरता दर, शिक्षा में लैंगिक अंतर तथा क्षेत्रीय असमानता जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूचकांकों में प्रगति होगी।

43. मैं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने के निर्णय का स्वागत करता हूं और मेरी सरकार इस अधिनियम के तहत राज्य को सौंपे गये संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार ने अधिनियम

के प्रावधानों को लागू करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन के नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई हैं।

44. अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित किया गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से परामर्श कर अधिनियम के क्रियान्वयन के व्यय की पूर्ति के लिए ऐसे अनुपात में राजस्व अनुदान के रूप में राज्यों को उपलब्ध कराएगी, जैसा कि परामर्श में निर्धारित किया जाए। यह अधिनियम प्रभावशील हो गया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से इस विषय पर औपचारिक परामर्श किया ही नहीं गया है। यदि सर्वशिक्षा अभियान के वर्तमान वित्तीय मापदंडों को ही अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लागू किया जाता है तो राज्य को 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप प्राप्त होने वाली राशि को समाहित करने के बाद भी हमें आगामी 3 वर्षों में रुपये 5220 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना होगा। मैं स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य किसी भी स्थिति में अपने स्वयं के संसाधनों से इस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, अतः केंद्र सरकार से निरंतर 90 प्रतिशत राजस्व अनुदान की मांग करता हूं।

45. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को मार्च 2013 तक लागू किया जाना है परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रकाश में अभी तक संशोधित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक अथॉरिटी द्वारा अभी तक शिक्षकों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है इससे हम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं कर पा रहे हैं।

46. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का स्वागत है किन्तु इसमें हायर सेकेण्डरी शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मॉडल स्कूल, बालिका छात्रावास और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भवन निर्माण की स्वीकृति राज्यों के शिड्यूल ऑफ रेट्स (SOR) के आधार पर दी जाए। स्पष्ट है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्माण की एक समान लागत निर्धारित नहीं हो सकती।

47. उच्च शिक्षा हेतु और अधिक सुविधाएं बढ़ाने के लिये निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किया गया है। मैं सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए राज्य द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय को 400 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जा चुकी है। किन्तु अब अन्य

सम्बद्ध कॉलेजों के लिये बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नवीन विश्वविद्यालय और खोलने की आवश्यकता है। इसके लिये केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

48. मध्यप्रदेश में बीपीएल सर्वे के अनुसार 35.6 लाख परिवार इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पात्रता रखते हैं। परन्तु भारत सरकार द्वारा 2001 की जनगणना के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के आधार पर प्रदेश के केवल 2.08 लाख परिवारों को ही पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम आवंटन प्राप्त होता है। मेरे बार-बार कहने के बाद भी इस विषय पर कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई है। मैं परिषद में जोर देकर कहता हूं कि इस तकनीकी त्रुटि को तत्काल सुधारा जाये ताकि गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को तत्काल समाप्त किया जा सके।

49. मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन अत्यंत सीमित है। भारत शासन द्वारा भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य में काफी अच्छा कार्य हुआ है किंतु गत वर्ष में राज्य को पर्याप्त संख्या में स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 23000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति शेष है। अतः हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण सड़कों की स्वीकृतियां तत्काल जारी की जाएँ।

50. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दिनांक 2-3 दिसम्बर 1984 की रात्रि में घटित गैस त्रासदी विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक एवं पर्यावरण त्रासदी है। भारत सरकार द्वारा गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1990 से 1999 तक केवल 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है। वर्ष 1999 के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1999 के पश्चात राज्य शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद गैस पीड़ितों के राहत एवं पुर्नवास में 400 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में पुनः गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को निरन्तर जारी रखने के लिए 982.75 करोड़ रुपये की कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

51. भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जून 2010 में चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं गैस पीड़ित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना अनुसार 272.75 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। गैस प्रभावितों

को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने की दृष्टि से राज्य शासन ने भारत सरकार से 500 करोड़ रुपये के कार्पस फंड बनाने की मांग की थी। जिस पर योजना आयोग ने सहमति प्रदान की है। इस राशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई है, जबकि गैस पीड़ितों के चिकित्सीय देखभाल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

52. मंत्रियों के समूह द्वारा 42,166 गैस प्रभावितों को अतिरिक्त मुआवजा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है लेकिन कल्याण आयुक्त द्वारा पीड़ित घोषित किये गये 5,21,332 लोगों के लिये कोई अतिरिक्त मुआवजा अनुशंसित नहीं किया गया है। इस तरह 90 प्रतिशत से अधिक गैस पीड़ितों को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं इस बात की ओर भी परिषद का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 10047 ऐसे गैस पीड़ितों की पूरी तरह अपेक्षा कर दी गयी है, जिनकी मृत्यु गैस त्रासदी के परिणामस्वरूप हुई। इन लोगों के लिये भी मंत्रियों के समूह ने कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया है। मेरा अनुरोध है कि अतिरिक्त मुआवजे के पूरे मुद्दे पर फिर से विचार किया जाये और इस विषय पर मंत्रियों के समूह की विशेष बैठक पुनः बुलाई जाए।

53. यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर, भोपाल में संग्रहीत रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों के विनिष्टीकरण का कार्य तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर एवं भारत सरकार द्वारा गठित ओवरसाईट कमेटी के मार्गदर्शन में किया जाना है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। परन्तु पीथमपुर में रासायनिक अपशिष्ट के जलाये जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इसके संबंध में वहां के लोगों में बहुत सारी आशंकायें हैं तथा वे इसका विरोध करते हैं। अतः पीथमपुर में रासायनिक अपशिष्ट जलाये जाने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर जलाने के साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि हमारे सुझावों पर विकास परिषद, योजना आयोग, भारत सरकार तथा संबंधित मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करेंगे और उठाये गये मुददों का समुचित रूप से समाधान करेंगे।

जय हिन्द!

After 6 para.

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि महत्वपूर्ण है किन्तु विकास के लिये पर्याप्त नहीं। हमारा ध्येय एक ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास है जिसमें प्रत्येक देशवासी का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो इसके लिये हमने अधोसंरचना का विकास, खेती को लाभ का धंधा बनाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति, जनजाति महिला एवं अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण, औद्योगिक निवेश, कानून एवं व्यवस्था एवं सुशासन की सात प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। हमने योजना बनाने की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन किया है। हमने विभिन्न स्टेक होल्डर्स (Stakeholders) की पंचायतें आयोजित कीं। विशेषज्ञ समूहों के साथ मंथन आयोजित किया, विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया और इस प्रक्रिया से उपजे सरोकारों को योजनाओं के रूप में अमलीजामा पहनाया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, सिक न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स, न्यूट्रीशन रिहाब्रिटेशन सेंटर ऐसी ही कुछ योजनायें हैं। मुझे विश्वास है कि अगले सर्वेक्षणों में हमारे सोशल इंडीकेटर्स में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होगा।

मध्यप्रदेश के पिछड़ेपन के ऐतिहासिक कारण है। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वर्तमान में निर्धारित प्रक्रियाओं के चलते न केवल स्वीकृतियों में अत्यधिक विलंब होता है, बल्कि हमारी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। मेरा मानना है कि पर्यावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें विकास की ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जो संवहनीय हों, किन्तु हमें प्रक्रियात्मक जटिलताओं को समाप्त करना होगा। मेरे वक्तव्य में आगे इस संबंध में कुछ व्यावहारिक सुझाव दिये गये हैं।

मैं संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु के ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है।